NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 18-11-2025

विषय सूची

» भारत में बलात्कार-विरोधी कानूनों की प्रगति
» भारत-यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU)
» भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में प्रस्तावित सुधार (SEBI)
» सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुख्य बाघ आवासों में बाघ सफ़ारी पर रोक

संक्षिप्त समाचार

» बटुकेश्वर दत्त
» सिस्टेमैटिक ऑब्ज़र्वेशन्स फ़ाइनेंसिंग फ़ैसिलिटी (SOFF)
» राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार (NGRA) 2025
» न्यूरोटेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए यूनेस्को के नए दिशानिर्देश
» रीसस मकाक
» भारत 2026 में अमेरिका से 10% एलपीजी आयात करेगा
» अजेया वॉरियर-25
» सेंटिनल-6B

भारत में बलात्कार-विरोधी कानूनों की प्रगति

संदर्भ

- भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने यौन उत्पीड़न पीड़ितों की बेहतर सुरक्षा और सहमति की नई परिभाषा की दिशा में भारत के विकसित होते कानूनी सुधारों पर प्रकाश डाला।

पृष्ठभूमि

- **तुकराम बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1979:** भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने हाल ही में 1979 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को "संस्थागत शर्मिंदगी" कहा।
- सर्वोच्च न्यायालय के 1979 के निर्णय में तीन बड़ी विफलताएँ सामने आईं:
  - **सहमति की गलत समझ:** न्यायालय ने चोटों(injuries) की अनुपस्थिति को सहमति का प्रमाण माना, जबकि शक्ति असमानता और हिरासत में दबाव को नज़रअंदाज़ किया।
  - **सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा की अनदेखी:** न्यायालय ने पीड़िता की उम्र, आदिवासी पृष्ठभूमि, गरीबी और सत्ता के भय को ध्यान में नहीं रखा।
  - **पुलिस दुरुपयोग और अवैध हिरासत पर चुप्पी:** न्यायालय ने रात में एक नाबालिग लड़की को बुलाने या थाने को हमले की जगह बनाने पर कोई निंदा नहीं की।
- एक सार्वजनिक पत्र ने सहमति और समर्पण के बीच अंतर को उजागर किया। इसमें कहा गया कि प्रतिरोध की अनुपस्थिति सहमति के बराबर नहीं है। इस पत्र ने राष्ट्रीय आक्रोश को जन्म दिया और कानूनी सुधारों को प्रेरित किया।

कानूनी सुधारों का विकास

- **दंड संहिता संशोधन अधिनियम, 1983:**
  - धारा 376 आईपीसी के अंतर्गत हिरासत में बलात्कार को एक विशिष्ट अपराध के रूप में प्रस्तुत किया गया।
  - जब हिरासत में यौन संबंध स्थापित हो जाता है तो साक्ष्य का भार आरोपी पर डाला गया।
  - शक्ति-आधारित यौन उत्पीड़न की प्रथम बड़ी मान्यता।
- **विशाखा दिशानिर्देश (1997):**
  - कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून की नींव रखी।
- **दंड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2013:**
  - 2012 निर्भया मामले के जवाब में, संशोधनों ने धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा को केवल जबरन यौन संबंध से आगे बढ़ाकर अन्य कृत्यों को भी शामिल किया।
  - सबसे महत्वपूर्ण, यह स्पष्ट किया गया कि महिला की चुप्पी या कमजोर 'ना' को 'हाँ' नहीं माना जा सकता।
  - सहमति की आयु 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई।
  - पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने को दंडनीय बनाया गया।
  - अस्पतालों द्वारा इलाज से इनकार करने पर दंड का प्रावधान किया गया।
  - चरम मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया।
- **दंड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018:**
  - यदि पीड़िता 12 वर्ष से कम आयु की लड़की है तो बलात्कार पर मृत्युदंड।
  - यदि पीड़िता 16 वर्ष से कम आयु की लड़की है तो न्यूनतम 20 वर्ष की सजा।
  - त्वरित जांच और सुनवाई की समयसीमा (जांच के लिए 2 महीने, सुनवाई के लिए 2 महीने, अपील के लिए 6 महीने)।
- **भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023:**
  - यौन अपराधों को पीड़ितों और अपराधियों के लिए लैंगिक-तटस्थ बनाया।
  - यदि पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की महिला है तो सामूहिक बलात्कार पर समान मृत्युदंड/आजीवन कारावास।

- नए अपराधों का परिचय जैसे:
  - झूठे बहाने से यौन संबंध।
  - यौन उत्पीड़न की विस्तारित परिभाषा।

महत्व

- **संसद का हस्तक्षेप:** मथुरा मामला भारत में सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक है जहाँ न्यायिक गलती ने संसद को हस्तक्षेप करने, दिशा सुधारने और न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास पुनर्स्थापित करने के लिए मजबूर किया।
- **लोकतांत्रिक सुरक्षा जाल के रूप में विधानमंडल:** इस विकास ने दिखाया कि संसद जनभावना और सामाजिक नैतिकता के प्रति संवेदनशील है।
- **समाज के हस्तक्षेप से कानून का विकास:** सुधार इसलिए नहीं आया कि प्रणाली चाहती थी, बल्कि इसलिए आया क्योंकि नागरिकों ने इसकी माँग की।
- **संस्थागत जाँच और संतुलन:** न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है लेकिन जब व्याख्या अन्यायपूर्ण हो जाती है, तो विधायिका वैधानिक बदलाव के साथ हस्तक्षेप करती है। इससे जनता का विश्वास और प्रणाली की वैधता बनी रहती है।

Source: TH

भारत-यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU)

समाचार में

- भारत एवं रूस ने मॉस्को में 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को हासिल करने के संकल्प को दोहराया और भारत–यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) में वस्तुओं के मुक्त व्यापार समझौते के कदमों की समीक्षा की।

यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) के बारे में

- EAEU एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संघ और मुक्त व्यापार क्षेत्र है, जिसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कज़ाख़स्तान, किर्गिज़स्तान एवं रूस शामिल हैं।
- इसे 2014 में यूरेशियन आर्थिक संघ की संधि द्वारा स्थापित किया गया और जनवरी 2015 से प्रभावी हुआ।
- संघ का उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम का मुक्त प्रवाह, आर्थिक नीतियों का समन्वय, गैर-शुल्क व्यापार बाधाओं का उन्मूलन एवं सदस्य देशों के बीच विनियमों का सामंजस्य है।
- EAEU लगभग 200 मिलियन लोगों के बाज़ार को कवर करता है, जिसकी संयुक्त GDP 6.5 ट्रिलियन डॉलर है। इसका संचालन सुप्रीम यूरेशियन आर्थिक परिषद और यूरेशियन आर्थिक आयोग द्वारा किया जाता है।

भारत के लिए यूरेशियन आर्थिक संघ का महत्व

- **बाज़ार तक पहुँच:** EAEU भारतीय निर्यातकों को विशाल बाज़ार तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे वस्त्र, दवाइयाँ, इंजीनियरिंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और MSMEs को लाभ होता है।
- **व्यापार विविधीकरण:** EAEU के साथ जुड़ाव भारत को अमेरिकी/यूरोपीय बाज़ारों पर निर्भरता कम करने में सहायता करता है और वैश्विक शुल्क विवादों से उत्पन्न कमजोरियों को संबोधित करता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** रूस, जो EAEU का सबसे बड़ा सदस्य है, भारत को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। मजबूत EAEU साझेदारी दीर्घकालिक ऊर्जा अनुबंधों को समर्थन देती है।
- **कनेक्टिविटी:** EAEU सहयोग अंतरराष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) और चेन्नई–व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग जैसी पहलों को पूरक करता है, जिससे लॉजिस्टिक लागत कम होती है।
- **भूराजनीतिक महत्व:** रूस-नेतृत्व वाले EAEU के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना भारत की "मल्टी-अलाइनमेंट" नीति को समर्थन देता है और उसकी रणनीतिक स्वायत्तता को मज़बूत करता है।

भारत–EAEU जुड़ाव में चुनौतियाँ

- **रूस के साथ उच्च व्यापार घाटा:** भारत का रूस के साथ व्यापार घाटा काफी बढ़ गया है (2021 में 6.6 अरब डॉलर से 2024–25 में 58.9 अरब डॉलर तक), मुख्यतः हाइड्रोकार्बन आयात के कारण, जिससे संतुलित विकास प्रभावित होता है।

- **भूराजनीतिक संवेदनशीलताएँ:** रूस-नेतृत्व वाले ब्लॉक के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध भारत के पश्चिमी साझेदारों (NATO, US, EU) में चिंताएँ उत्पन्न करते हैं, जिसके लिए सावधानीपूर्वक कूटनीतिक संतुलन आवश्यक है—विशेषकर वैश्विक प्रतिबंधों और सुरक्षा के संदर्भ में।
- **गैर-शुल्क बाधाएँ:** भारतीय निर्यातकों को नौकरशाही विलंब, जटिल सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ और EAEU के अंदर नियामक असंगतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे लागत बढ़ती है तथा प्रतिस्पर्धात्मकता घटती है।
- **स्वच्छता और पादप-स्वास्थ्य मानक (SPS):** EAEU देशों में सख्त SPS मानक भारतीय कृषि निर्यात को सीमित करते हैं और नियामक सामंजस्य की आवश्यकता होती है।
- **FTA का अपर्याप्त उपयोग:** भारत की FTA उपयोग दर कम है, जो संकेत देती है कि भविष्य के समझौतों का लाभ उठाने के लिए बेहतर व्यापार सुविधा और घरेलू उद्योग की तैयारी आवश्यक है।

निष्कर्ष

- EAEU भारत के लिए व्यापार विविधीकरण, ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का एक रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करता है। हालांकि, व्यापार घाटे, नियामक बाधाओं और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संतुलन को संबोधित करना एक सुदृढ़ भारत–EAEU साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण होगा।

Source: PIB

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में प्रस्तावित सुधार (SEBI)

संदर्भ

- हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की उच्च-स्तरीय समिति (HLC) ने पारदर्शिता, नैतिक शासन एवं निवेशक विश्वास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक सुधारों का प्रस्ताव रखा है।

उच्च-स्तरीय समिति (HLC): पृष्ठभूमि और उद्देश्य

- इसे मार्च 2025 में गठित किया गया था, जब हिन्डेनबर्ग रिसर्च द्वारा पूर्व SEBI अध्यक्ष पर विदेशी फंडों से जुड़े संभावित हितों के टकराव के आरोप लगाए गए थे।
- इसका कार्य SEBI के वर्तमान हितों के टकराव ढांचे का मूल्यांकन करना और जवाबदेही एवं ईमानदारी के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने हेतु सुधारों की सिफारिश करना था।
- इसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त (CVC) प्रत्युष सिन्हा कर रहे हैं।

हितों के टकराव का ढांचा क्या है?

- यह निर्धारित करता है कि SEBI के अधिकारी अपने व्यक्तिगत और पेशेवर हितों का प्रबंधन कैसे करें ताकि उनके नियामक कर्तव्यों से समझौता न हो।
- यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय निष्पक्ष रूप से लिए जाएँ, बिना किसी वित्तीय या गैर-वित्तीय हित के अनुचित प्रभाव के।

समिति की प्रमुख सिफारिशें

- **परिसंपत्तियों और देनदारियों का सार्वजनिक प्रकटीकरण**
  - अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य (WTMs), और मुख्य महाप्रबंधक (CGM) स्तर एवं उससे ऊपर के SEBI कर्मचारी अपनी परिसंपत्तियों तथा देनदारियों का सार्वजनिक प्रकटीकरण करेंगे।
  - वरिष्ठ पदों के आवेदकों को वास्तविक, संभावित और अनुमानित हितों के टकराव (वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों) घोषित करने होंगे।
- **समान निवेश प्रतिबंध**
  - SEBI (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 के अंतर्गत निवेश और व्यापार प्रतिबंध अध्यक्ष एवं WTMs पर समान रूप से लागू होंगे।
  - प्रमुख सिफारिशें:
    - इन वरिष्ठ अधिकारियों को SEBI (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 में 'इनसाइडर' की परिभाषा में शामिल करना।

- पद ग्रहण करते समय अनिवार्य विकल्प: निवेशों को बेचना, स्थिर करना या समाप्त करना, पूर्व अनुमोदन के साथ।
- अंशकालिक सदस्य (PTMs) को छूट मिलेगी, लेकिन उन्हें उचित प्रकटीकरण करना होगा और अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी पर व्यापार से बचना होगा।

- **हितों के टकराव का प्रबंधन: "परिवार" की नई परिभाषा**
  - SEBI की आचार संहिता में 'परिवार' की परिभाषा का विस्तार कर इसे कर्मचारी सेवा विनियम (ESR) और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाया गया।
  - नई परिभाषा में शामिल हैं:
    - पति/पत्नी, बच्चे और आश्रित रिश्तेदार।
    - वह व्यक्ति जिसके लिए सदस्य कानूनी अभिभावक है।
    - रक्त या विवाह से संबंधित व्यक्ति जो कर्मचारी पर अत्यंत सीमा तक निर्भर हैं।
- **पुनर्विलगन और व्हिसलब्लोअर प्रणाली को मजबूत करना**
  - **मजबूत पुनर्विलगन ढांचा:** अध्यक्ष, WTMs, PTMs और वरिष्ठ SEBI कर्मचारियों के लिए औपचारिक पुनर्विलगन प्रक्रिया।
    - SEBI की वार्षिक रिपोर्ट में पुनर्विलगनों का वार्षिक प्रकाशन।
  - **सुरक्षित व्हिसलब्लोअर तंत्र:** गोपनीय और गुमनाम प्रणाली जिससे कर्मचारी, बोर्ड सदस्य और बाहरी हितधारक हितों के टकराव या नैतिक उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकें।
    - व्हिसलब्लोअर को प्रतिशोध से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय।
- **सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिबंध**
  - सभी पूर्व SEBI सदस्य, कर्मचारी, सलाहकार और परामर्शदाता के लिए दो वर्ष की "कूलिंग-ऑफ" अवधि।
  - इस अवधि में वे SEBI के समक्ष या SEBI के विरुद्ध किसी मान्यता, निर्णय या निपटान मामलों में उपस्थित नहीं हो सकेंगे।
- **नैतिक आचरण और शासन अवसंरचना**
  - उन संस्थाओं से सीधे या परोक्ष रूप से उपहार स्वीकार करने पर प्रतिबंध जिनका SEBI से वर्तमान या संभावित आधिकारिक संबंध है।
  - नैतिकता और अनुपालन कार्यालय (OEC) तथा नैतिकता और अनुपालन पर निगरानी समिति (OCEC) की स्थापना।
  - डेटा एनालिटिक्स और प्रेडिक्टिव एल्गोरिद्म का उपयोग कर हितों के टकराव का पता लगाने, रोकने एवं प्रबंधन हेतु AI-आधारित निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन।

सिफारिशें क्यों महत्वपूर्ण हैं?

- **निवेशक विश्वास पुनर्स्थापित करना:** खुदरा निवेशकों को यह आश्वासन चाहिए कि बाजार नियमन निष्पक्ष और निष्पक्ष है, विशेषकर भारत में 170 मिलियन से अधिक डिमैट खातों के साथ।
- **नियामक नियन्त्रण को रोकना:** SEBI प्रकटीकरण लागू करके अधिकारियों के पक्षपात की संभावना कम कर सकता है।
- **संस्थागत विश्वसनीयता:** आंतरिक असहमति और विषाक्त कार्य संस्कृति के आरोपों के बीच, ये सुधार SEBI की नैतिक शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
- **वैश्विक मानकों के अनुरूप:** अमेरिकी SEC और ब्रिटेन के FCA जैसे नियामकों में समान ढांचे विद्यमान हैं, जहाँ परिसंपत्ति प्रकटीकरण और हितों के टकराव का ऑडिट नियमित रूप से होता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)

- इसे 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से एक गैर-वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था और 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया।

उद्देश्य

- **निवेशक संरक्षण:** प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना।
- **बाजार विकास:** एक मजबूत और कुशल प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना।
- **बाजार विनियमन**: स्टॉक एक्सचेंजों, मध्यस्थों और अन्य बाजार प्रतिभागियों के व्यवसाय को विनियमित करना।

Source: IE

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुख्य बाघ आवासों में बाघ सफ़ारी पर रोक

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने कोर या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में टाइगर सफारी पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। कॉर्बेट रिज़र्व में पर्यटन के नाम पर व्यावसायिक शोषण की विभिन्न उल्लंघनों की शिकायत करते हुए एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

- **संवेदनशील क्षेत्र:** सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को छह महीने के अंदर टाइगर रिज़र्व के बफ़र और कोर क्षेत्रों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया।
  - सभी टाइगर रिज़र्व के चारों ओर, जिसमें बफ़र और फ्रिंज क्षेत्र शामिल हैं, एक वर्ष के अंदर ईको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZs) अधिसूचित करने का आदेश दिया।
- **TCP योजनाएँ:** पीठ ने नोट किया कि 1973 में नौ टाइगर रिज़र्व से शुरू होकर प्रोजेक्ट टाइगर का विस्तार अब पूरे भारत में 58 रिज़र्व तक हो गया है।
  - तीन माह के अंदर टाइगर कंज़र्वेशन प्लान (TCP) तैयार करने के निर्देश दिए गए।
  - नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी (NTCA) यह निगरानी करेगी कि TCP लागू किए गए हैं और क्या स्टीयरिंग कमेटियाँ साल में कम से कम दो बार बैठक कर रही हैं।
- **टाइगर सफारी:** सर्वोच्च न्यायालय ने कोर टाइगर हैबिटेट में टाइगर सफारी पर रोक लगाई है।
  - इन्हें केवल गैर-वन भूमि पर, संघर्षग्रस्त जानवरों के लिए रेस्क्यू सेंटर के साथ और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करते हुए आयोजित करने का आदेश दिया।
- **HAC को प्राकृतिक आपदा घोषित करना:** सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को सक्रिय रूप से मानव-वन्यजीव संघर्ष को "प्राकृतिक आपदा" घोषित करने पर विचार करने का सुझाव दिया और ऐसे घटनाओं में प्रत्येक मानव मृत्यु पर 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
  - उत्तर प्रदेश पहले ही मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा घोषित कर चुका है।
  - इससे निधियों का तेज़ वितरण, आपदा प्रबंधन संसाधनों तक तुरंत पहुँच और स्पष्ट प्रशासनिक जवाबदेही संभव होगी।
- **HAC के लिए दिशा-निर्देश:** NTCA को छह माह के अंदर मानव-वन्यजीव संघर्ष पर मॉडल दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया गया।
  - राज्यों को इन दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए छह महीने की समयसीमा तय की गई।
- **निषिद्ध गतिविधियाँ:** टाइगर रिज़र्व के बफ़र और फ्रिंज क्षेत्रों में निम्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया:
  - व्यावसायिक खनन
  - आरा मिलों की स्थापना
  - प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग
  - बड़े हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की स्थापना
  - पर्यटन से संबंधित गतिविधियाँ
- **अनुमत गतिविधियाँ (नियंत्रित):**
  - अनुमोदित पर्यटन प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार होटल और रिसॉर्ट्स की स्थापना
  - प्राकृतिक जल संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग, जिसमें भूजल दोहन शामिल है
  - होटल और लॉज की परिसरों की बाड़बंदी

- सड़कों का चौड़ीकरण
- रात में वाहनों की आवाजाही

बायोस्फीयर रिज़र्व का कोर ज़ोन और बफ़र ज़ोन

- यह भूमि या जल का एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता और संरक्षण प्राप्त होता है। बायोस्फीयर रिज़र्व का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना है। एक बायोस्फीयर रिज़र्व में कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य शामिल हो सकते हैं।
- **बायोस्फीयर रिज़र्व में सामान्यत: तीन क्षेत्र होते हैं:**
  - **कोर ज़ोन:** एक सख्ती से संरक्षित क्षेत्र जहाँ मानव गतिविधियाँ अनुमति नहीं होतीं।
  - **बफ़र ज़ोन:** एक क्षेत्र जहाँ सीमित मानव गतिविधियाँ अनुमति होती हैं, जैसे शोध और ईको-टूरिज़्म।
  - **ट्रांज़िशन ज़ोन:** एक क्षेत्र जहाँ सतत विकास को प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे खेती, वानिकी और अन्य मानव गतिविधियाँ।

मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-Wildlife Conflict)

- मानव-वन्यजीव संघर्ष वह स्थिति है जब मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच मुठभेड़ नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाती है, जैसे संपत्ति, आजीविका और जीवन की हानि।
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण/कारक**
  - शहरीकरण और विकास
  - संरक्षित क्षेत्रों की कमी
  - जनसंख्या विस्फोट
  - वनों की कटाई
  - कृषि विस्तार
  - जलवायु परिवर्तन
  - आक्रामक प्रजातियाँ
  - ईको-टूरिज़्म में वृद्धि
  - जंगली सूअर और मोर जैसे तीव्र प्रजनन करने वाली प्रजातियों की जनसंख्या में भारी वृद्धि

मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रभाव

- प्रजातियों में गिरावट और संभावित विलुप्ति
- वित्तीय हानि और स्वास्थ्य, सुरक्षा, आजीविका, खाद्य सुरक्षा और संपत्ति पर खतरे
- विस्थापन और जबरन पलायन
- वनों वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के कारण सड़क और रेलवे दुर्घटनाओं में वृद्धि

Source: TP

संक्षिप्त समाचार

बटुकेश्वर दत्त

समाचारों में

- हाल ही में बटुकेश्वर दत्त की जयंती मनाई गई।

बटुकेश्वर दत्त

- वे एक भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1900 के शुरुआती दशक में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया।
- उनका जन्म 1910 में बंगाल में हुआ था।
- वे भगत सिंह के साथी थे और 1929 के सेंट्रल असेंबली बमकांड में शामिल थे, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध "बहरे को सुनाना" था।

स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

- वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे।
- उन्हें दिल्ली असेंबली बमकांड में दोषी ठहराया गया।
- उन्होंने भारत की विभिन्न जेलों में नौ वर्ष बिताए और राजनीतिक कैदियों के मानवीय व्यवहार के लिए लंबे भूख हड़तालें कीं।`
- 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्होंने चार वर्ष एवं जेल में बिताए।
- उन्होंने भगत सिंह के परिवार और साथियों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखे और भगत सिंह पर बनी व्यावसायिक फिल्मों को नापसंद किया। उन्होंने केवल मनोज कुमार की *शहीद (1965)* का समर्थन किया।

Source :TH

सिस्टेमैटिक ऑब्ज़र्वेशन्स फ़ाइनेंसिंग फ़ैसिलिटी (SOFF)

समाचारों में

- सिस्टेमैटिक ऑब्ज़र्वेशन्स फ़ाइनेंसिंग फ़ैसिलिटी (SOFF) मौसम और जलवायु डेटा के संग्रह के लिए अनुदान प्रदान करती है।

परिचय

- सिस्टेमैटिक ऑब्ज़र्वेशन्स फ़ाइनेंसिंग फ़ैसिलिटी (SOFF) एक विशेषीकृत संयुक्त राष्ट्र जलवायु कोष है जिसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा स्थापित किया गया है।
- SOFF उन देशों के साथ कार्य करती है जहाँ अवलोकन की सबसे गंभीर कमी है, विशेष रूप से अल्पविकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। SOFF दीर्घकालिक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करके वैश्विक सार्वजनिक हित में योगदान करती है।
- SOFF का उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण सतह-आधारित मौसम और जलवायु अवलोकनों के सतत संग्रह एवं अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान को बढ़ावा देना तथा तीव्र करना है, जो वैश्विक रूप से सहमत *ग्लोबल ऑब्ज़र्विंग बेसिक नेटवर्क* के अनुरूप है।

Source: IE

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार (NGRA) 2025

संदर्भ

- पशुपालन और डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार (NGRA) 2025 के विजेताओं की घोषणा की है।

परिचय

- NGRA पशुधन और डेयरी क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों में से एक है।
- ये पुरस्कार 26 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह के हिस्से के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
- 2014 में शुरू किए गए राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) का उद्देश्य देशी गोवंशीय नस्लों का वैज्ञानिक संरक्षण और विकास है।
- 2021 से, विभाग प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार (NGRA) प्रदान कर रहा है ताकि दुग्ध उत्पादक किसानों, डेयरी सहकारी समितियों/MPCs/FPOs और कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों (AITs) को प्रोत्साहित किया जा सके।
- पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह के साथ क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के लिए ₹5,00,000, ₹3,00,000 और ₹2,00,000 की नकद राशि प्रदान की जाएगी।

Source: PIB

न्यूरोटेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए यूनेस्को के नए दिशानिर्देश

संदर्भ

- यूनेस्को ने न्यूरोटेक्नोलॉजी की नैतिकता पर प्रथम वैश्विक मानक ढांचा जारी किया है।

न्यूरोटेक्नोलॉजी

- न्यूरोटेक्नोलॉजी उन उपकरणों और प्रक्रियाओं को संदर्भित करती है जो तंत्रिका तंत्र, जिसमें मानव मस्तिष्क भी शामिल है, तक पहुँचते हैं, उनका आकलन करते हैं तथा उन पर कार्य करते हैं।
- यदि मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन होता, तो न्यूरोटेक्नोलॉजी उन उपकरणों का समूह है जो उसे ट्यून करने में सहायता करते हैं।
- यह न्यूरोसाइंस, इंजीनियरिंग और उन्नत कंप्यूटिंग में प्रगति को मिलाकर ऐसे समाधान विकसित करती है जो मस्तिष्क की कार्यक्षमता को सुधारते हैं तथा मानव क्षमताओं को बढ़ाते हैं।
- **चिंताएँ:** न्यूरोटेक्नोलॉजी न्यूरोडाटा — जिसे न्यूरल या ब्रेन डेटा भी कहा जाता है — को डिकोड करने की अनुमति देती है, जिससे उपयोगकर्ता की गोपनीयता, दुरुपयोग से सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं के बीच सूचित सहमति को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

यूनेस्को ढांचा

- **उद्देश्य:** मानव गरिमा, अधिकार, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और सतत विकास को बनाए रखना।
- सिफारिशें तीन-स्तरीय रणनीति पर आधारित हैं:
  - न्यूरोटेक्नोलॉजी और न्यूरोडाटा की प्रकृति और दायरे को परिभाषित करना;
  - मूल्यों, सिद्धांतों की पहचान करना और राष्ट्रों को विशेष क्षेत्रों (जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा) पर ध्यान केंद्रित करते हुए सिफारिशों को शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश देना;
  - और कमजोर जनसंख्या जैसे बच्चों और बुजुर्गों के लिए विचार करना।
- यह किसी भी न्यूरल या गैर-न्यूरल डेटा के उपयोग को भ्रामक या धोखाधड़ीपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रतिबंधित करता है, जिसमें राजनीतिक, चिकित्सा और वाणिज्यिक संदर्भ शामिल हैं।
  - यह किसी भी वैध न्यूरोटेक्नोलॉजी उपयोग में स्वायत्तता, स्वतंत्र इच्छा और सूचित सहमति के सिद्धांतों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है।
- **महत्व** यह ढांचा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में न्यूरोटेक्नोलॉजी में जिम्मेदार अनुसंधान और नवाचार (RRI) मॉडल को बढ़ावा देता है।
  - यह न्यूरोटेक्नोलॉजी नवाचार को संचालित करने के लिए एक नैतिक ढांचे की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता में योगदान देता है।

Source: TH

रीसस मकाक

समाचार में

- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने रीसस मकाक (Rhesus Macaque) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-II में पुनः शामिल करने की सिफारिश की है, जिससे उन्हें वैधानिक संरक्षण पुनर्स्थापित हो सके। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक प्रबंधन को सक्षम बनाना, तस्करी और क्रूरता को रोकना तथा संघर्ष समाधान में वन विभागों को सशक्त करना है।

रीसस मकाक (Macaca mulatta)

- **आवास:** यह एक दिवाचर (दिन में सक्रिय), सर्वाहारी प्रजाति है जो पेड़ों और भूमि दोनों पर रहती है।
  - यह शंकुधारी, पतझड़ी, बाँस और मिश्रित वन, मैंग्रोव, झाड़ीदार क्षेत्र, वर्षावन एवं यहाँ तक कि मानव बस्तियों के पास भी पाए जाने वाले विविध आवासों में निवास करती है।
- **वितरण:** यह दक्षिण एशिया के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है, जिसमें पूर्वी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन और भारत शामिल हैं।
- **पारिस्थितिक भूमिकाएँ:** यह बीज फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे वन पुनर्जनन और जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। इसलिए इसका संरक्षण पारिस्थितिक संतुलन एवं सतत सह-अस्तित्व दोनों के लिए आवश्यक है।
- **खतरे:** यह सामान्यतः अप्रभावित माना जाता है, हालांकि इसका मूल आवास विकास कार्यों के कारण तीव्रता से नष्ट हो रहा है।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - आईयूसीएन द्वारा इसे कम चिंता (**Least Concern**) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।
  - इसे *CITES Appendix II* में भी सूचीबद्ध किया गया है।

Source :IE

भारत 2026 में अमेरिका से 10% एलपीजी आयात करेगा

समाचार में

- भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) आयात करने के लिए अपना प्रथम संरचित अनुबंध किया है।

सौदे की पृष्ठभूमि

- यह सौदा भारत–अमेरिका व्यापार समझौता वार्ताओं के बीच आया है, जहाँ नई दिल्ली अमेरिकी वस्तुओं पर लगाए गए शुल्कों के बाद वाशिंगटन के साथ अपने व्यापार अधिशेष को कम करने की कोशिश कर रही है।

- यह भारत की अमेरिकी ऊर्जा आयात बढ़ाने की इच्छा को भी दर्शाता है।
- ट्रंप प्रशासन ने कई भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाया था।

एलपीजी (LPG)

- यह हाइड्रोकार्बन गैसों का एक समूह है—मुख्यतः प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन—जो कच्चे तेल के परिष्करण या प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण से उत्पन्न होती हैं।
- इसे अलग-अलग बेचा जा सकता है या मिश्रित किया जा सकता है, और यह दबाव के अंतर्गत आसानी से तरलीकृत हो जाती है (बिना क्रायोजेनिक शीतलन के), जिससे इसका परिवहन और भंडारण सुविधाजनक हो जाता है।

भारत में स्थिति

- भारत, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उपभोक्ता है, अपनी लगभग 88% कच्चे तेल की आवश्यकता आयात पर निर्भर करता है और अपनी प्राकृतिक गैस की लगभग आधी मांग एलएनजी आयात के माध्यम से पूरी करता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रमुख ऊर्जा भागीदार के रूप में उभरा है, जो भारत का पाँचवाँ सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता और दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता है।
- भारत में एलपीजी मुख्य रूप से खाना पकाने के ईंधन के रूप में उपयोग होती है, जिस पर भारी सब्सिडी दी जाती है और इसकी 60% से अधिक मांग आयात के माध्यम से पूरी होती है। सरकार ग्रामीण परिवारों तक इसकी पहुँच बढ़ा रही है ताकि प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता कम की जा सके।

हालिया सौदे की प्रमुख विशेषताएँ

- सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियाँ—IOC, BPCL और HPCL—ने 2026 के लिए अमेरिका के गल्फ कोस्ट से 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष (जो भारत के वार्षिक एलपीजी आयात का लगभग 10% है) का एक वर्ष का अनुबंध किया है।
- इस समझौते को "ऐतिहासिक प्रथम" कहा गया है, जो पारंपरिक पश्चिम एशियाई आपूर्तिकर्ताओं जैसे सऊदी अरब, UAE, कतर एवं कुवैत से विविधीकरण को दर्शाता है।
- यह चल रही व्यापार समझौता वार्ताओं के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ऊर्जा व्यापार को गहरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

Source :IE

अजेया वॉरियर-25

संदर्भ

- भारत–यूनाइटेड किंगडम (UK) संयुक्त सैन्य अभ्यास "अजेया वॉरियर-25" का आठवाँ संस्करण राजस्थान में प्रारंभ हुआ।

अभ्यास के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अंतगर्त आयोजित यह अभ्यास अर्ध-शहरी वातावरण में आतंकवाद-रोधी अभियानों पर केंद्रित है।
- 2011 से द्विवार्षिक रूप से आयोजित होने वाला *अजेया वॉरियर* भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के बीच एक प्रमुख सहभागिता के रूप में विकसित हुआ है।

क्या आप जानते हैं?

- *कॉनकन* भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी (UK) के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है।
- *इंद्रधनुष* भारतीय वायुसेना (IAF) और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास है।

Source: PIB

सेंटिनल-6B

संदर्भ

- सेंटिनल-6B को सफलतापूर्वक अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया स्थित वैंडनबर्ग स्पेस फ़ोर्स बेस से प्रक्षेपित किया गया है।

सेंटिनल-6B के बारे में

- यह एक महासागर-निगरानी उपग्रह है जिसमें छह वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं, जो समुद्र-स्तर में हो रही वृद्धि और उसके ग्रह पर प्रभावों को मापेंगे।
- यह पृथ्वी की परिक्रमा 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से करेगा और प्रत्येक 112 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगा।
- यह मिशन नासा (NASA), एनओएए (NOAA) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के बीच एक संयुक्त सहयोग है।
- अपने जुड़वां उपग्रह *सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच* (जो 2020 में प्रक्षेपित हुआ था) के साथ मिलकर यह उच्च-सटीकता वाला समुद्र-स्तर डेटा प्रदान करेगा—लगभग 1 इंच तक की शुद्धता के साथ—जो विश्व के 90% से अधिक महासागरों को कवर करेगा।

■■■■